192/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियत्न्य जज
26/3/2025	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्षकारान की अंतिम बहस सुनी गई थी। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने आवेदन पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया था,कि प्रार्थीगण की ओर से विवादित आराजी में खातेदारी घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अनुतोष चाहा गया है,जिसमें सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थीगण व विप्रार्थी मुतवफी गाडुखां के वारिसान है। वक्त जागीर गाडू खां की कब्जा काश्त भूमि मूल ग्राम पाटोदी की खसरा संख्या 1105 ,949, 989, 2210, 2229 ,2235,2252 व 2251 अवस्थित थी। जिस पर गाडू खां व उसके दो पुत्र वादीगण के वालिद सायर खां व प्रतिवादी के वालिद सदीक खां का भी कब्जा काश्त चला आ रहा था। गाडूखां का देहांत सेटलमेंट पूर्व हो गया था। वक्त सेटलमेंट विवादित आराजी गाडूखां के दो भाई सायर खां व सदीक खां के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। सेटलमेंट विभाग की ओर से खसरा संख्या 1105,948,989 का पर्चा लगान दो भाई सायर खां व सदीक खां के नाम सही जारी किया गया,लेकिन शेष खसरा संख्या 2210, 2229 ;2235,2252 व 2251 के पर्चा लगान में प्रार्थीगण के वालिद सायर खां का नाम दर्ज नही कर विप्रार्थी के वालिद सदीक खां अकेला का नाम दर्ज किया गया। जबकि विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का बहिस्सा बराबर आदिनांक कब्जा काश्त चला आ रहा है,लेकिन रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने का नाजायज फायदा उठाकर विप्रार्थी प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में दखलदांन्जी करते है तथा विवादित आराजी को बेचान करने पर उतारू है,यदि इसमें सफल हो गए तो प्रार्थीगण के आवेदन का मकसद ही समाप्त हो जाऐगा। अंत प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पक्ष में विप्रार्थी के विरूद्व स्थगन आदेश पारित किया जावें कि विवादित आराजी की राजस्व रेकर्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाए रखे। इसके विपरीत विप्रार्थी अधिवक्ता की बहस थी कि प्रार्थीगण का आवेदन मनगढन्त तथ्यो के आधार पर होने के कारण प्रार्थीगण को सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। क्योकि प्रार्थीगण की ओर वंश वृक्षावली भी गलत बनाए गए है। गाडूखां वक्त सेटलमेट जीवित नहीं थे। गाडूखां के तीन पुत्र सायरखां,सदीक

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) बालोतरा

खां व भूमा खां थे। भूमा खां का रिश्ता किया हुआ था,उस कनाम जीम था,भूमा खां के देहान्त होने पर सायरखां के बडऋे पुत्र जलेखां का निकाह धामू खां की पत्नि जमी के साथ किया गया था। जलेखां का निकाह धामू खां की पत्नि से होने के कारण जमीन में हक नहीं दिया गया। वक्त सैटलमेंट के समय खसरा संख्या 1105,948,989 का सायर खां व सदीक खां का संयुक्त कब्जा काश्त होने के कारण संयुक्त पर्चा लगान जारी किया गया तथा खसरा संख्या 2210, 2229 ,2235,2252 व 2251 में सदीक खां अकेले का कब्जा काश्त होने के कारण पर्चा लगान सदीक खां के नाम जारी हुआ। विवादित भूमि पर प्रार्थीगण का वक्त सेटलमेंट से आदिनांक कभी कब्जा काश्त नही रहा है। प्रार्थीगण की ओर से लगभग 60 वर्षो के बाद मनगढन्त तथ्यो के आधार पर प्रकरण पेश किए जाने के कारण सफलता मिलने की कोई संभावना नहीं है। अंत प्रार्थीगण का आवेदन खारिज किया जाकर विप्रार्थी का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर माफिक अनुतोष विप्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जावें।

हमने उभय पक्षकारान अधिवक्तो की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद में खातेदारी अधिकारों की धोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें का अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थीगण/वादीगण माफिक अनुतोष पाने के हकदार है अथवा नहीं। लेकिन हस्तगत प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किए जाने का ऐसा कोई औचित्य पूर्ण कारण सामने नहीं आया है,जिससे ऐसा प्रतीत होता हो कि स्थगन आदेश जारी किया जाना आवश्यक हो। इसके विपरीत विप्रार्थी विवादित आराजी के रिकार्डेड सह खातेदार है और खातेदार के विरूद्व स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है और न ही ऐसा प्रतीत होता है कि स्थगन आदेश पारित किया जाना अति आवश्यक हो।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनते है। इस कारण प्रार्थीगण का आवेदन चलने योग्य नहीं है तथा न ही विप्रार्थी के काउण्टर क्लेम स्वीकार योग्य है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा